कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

पुराना जिला चिकित्सालय, डी.एन.के.कॉलोनी कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ०ग०)

PHONE NO & FAX NO :: 07786-242077, E-MAIL ID- cmhok.geon@gmail.com

:: आदेश ::

क्रः: 102 / 03 / स्था.नर्सिंग / मु.चि.अ. / 2021 कोण्डागांव, दिनांक 04 / 08 / 2021

छत्तीसगढ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अलिपिकीय पैरा–मेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधान एवं अर्हता अनुसार संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ०ग० विज्ञापित प्रशिक्षित मितानिनों के लिए जिला स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक 'महिला' / बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के आरक्षित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु आमंत्रित छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑन–लाईन आवेदन पश्चात् दिनांक 27.06.2021 को आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा परिणाम / उत्तर–पुस्तिका मूल्यांकन में प्राप्तांक के आधार पर चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर चयन सूची से चयनित अभ्यर्थियों को **ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला)** के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम–2017, वेतन मेट्रिक्स लेवल–5 में वेतनमान 22400–71200 तथा छ०ग० शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21 / 2020 के अनुसार 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि में नियुक्ति कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80%, एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जाए, तथा शासन द्वारा समय–समय पर देय महंगाई व अन्य भत्तों पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोण्डागांव में उपस्थिति दिनांक से निम्नांकित सेवा शर्तों में नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 7 में दर्शित स्वास्थ्य संस्था में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

क्र.	अभ्यार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	जाति संवर्ग	पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति का प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शारदा नायक	सुरज सिंह नायक	अपिव	म.न.255, बायकापदर बड़ेबेन्दरी तह.+जिला कोण्डागांव	अनारक्षित	उप स्वा.केन्द्र कमेला वि.ख. कोण्डागांव
2	प्रमिला मानिकपुरी	गणेश राम मानिकपुरी	अपिव	म.न.120, पनकापारा बांसगांव, तह.विश्रामपुरी, जिला कोण्डागांव	अ.पि.व.	उप स्वा.केन्द्र किवईबालेंगा वि.ख. कोण्डागांव
3	बिम्लेश्वरी नागेश	राजेन्द्र गन्धर्व	अजा	म.न. 77, खासपारा खल्लारी तह.विश्रामपुरी, जिला कोण्डागांव	अ.जा.	उप स्वा.केन्द्र तितरवण्ड वि.ख. विश्रामपुरी
4	मानो	बसनम	अजजा	ग्राम–सिरपुर प्लाटपारा तहसील फरसगांव जिला कोण्डागांव	अ.ज.जा.	उप स्वा.केन्द्र फरसगांव वि.ख. फरसगांव
5	सुलोचना मरकाम	रामसिंह मरकाम	अजजा	ग्राम+पोस्ट–बांसकोट, जामपारा, तह.विश्रामपुरी, जिला कोण्डागांव	अ.ज.जा.	उप स्वा.केन्द्र सिंगनपुर वि.ख. कोण्डागांव
6	अनिल बाई मण्डावी	अगनुराम मण्डावी	अजजा	ग्राम+पोस्ट–खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव	अ.ज.जा.	उप स्वा.केन्द्र नयानार वि.ख. केशकाल
7	पार्वती नेताम	हेमलाल नेताम	अजजा	ग्राम खजरावण्ड पोस्ट लिहागांव, वि.ख. विश्रामपुरी, जिला कोण्डागांव	अ.ज.जा.	उप स्वा.केन्द्र विश्रामपुरी 'अ' वि.ख. विश्रामपुरी
8	हेमलता नेताम	बेसम्बर नेताम	अजजा	ग्राम केरावाही, पुजारीपारा ब्लॉक माकड़ी जिला कोण्डागांव	अ.ज.जा.	उप स्वा.केन्द्र लखापुरी वि.ख. कोण्डागांव
9	पार्वती नेताम	चमरूराम नेताम	अजजा	म.न.17, वार्ड न.1 मंडईभाटा ग्राम राजागांव तह. / जिला कोण्डागांव	अ.ज.जा.	उप स्वा.केन्द्र बड़ेबंजोड़ा वि.ख. कोण्डागांव
10	पदमा कांगे	श्रवण कांगे	अजजा	ग्राम कर्रारमेटा पोस्ट धनोरा, तह. केशकाल,जिला–कोण्डागांव	अ.ज.जा.	उप स्वा.केन्द्र संवाला वि.ख. केशकाल

नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन होगी :-

1. चयनित उम्मीद्वार को आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति सहित कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोण्डागांव में उपस्थित देकर पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी तथा मेरिट सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची से अन्य उम्मीदवार का चयन किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
2. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
3. स्थायी नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी या अर्द्धस्थायी) नियम, 1960 के नियम, 12 के अनुसार उनकी सेवायें, किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पुर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें एक माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 2 के अन्तर्गत देय राशि उनसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. उक्त भर्ती में नियुक्ति/पदस्थापना के विरूद्ध यदि किसी अभ्यार्थी या आवेदक का किसी प्रकार की शिकायत निर्मित होने की स्थिति में कलेक्टर महोदय का आदेश/निर्णय अन्तिम मान्य होगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर रहेगी, यह नियुक्ति कोण्डागांव जिला अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पदों के विरूद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा, कि वह आगामी तीन वर्षों तक जिले के बाहर अथवा जिले के अन्दर अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे। आवेदन किये जाने पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
8. अभ्यर्थी जिला मेडिकल बोर्ड, जिला चिकित्सालय कोण्डागांव के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण करावें एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें। भैषजिक (मेडिकल) अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त माना जावेगा।
9. अभ्यर्थी को अपने सम्पूर्ण प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रतियों सहित कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोण्डागांव में उपस्थित होकर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात् ही कार्य पर उपस्थिति मान्य किया जावेगा। यदि उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों यथा– शैक्षणिक/जाति/निवास/रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र में असत्यता पाई जाती है, तो उसकी उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।
10. सेवा भर्ती नियम अनुसार मितानिन के रूप में 5 वर्ष की कालावधि के लिए अबाधित (निरन्तर) कार्य करने, मितानिन के दायित्वों से पदच्यूत न किया गया हो, मितानिन के रूप में कार्य के दौरान मितानिन के कर्तव्यों से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण लेखबद्ध/दर्ज न हो, इस हेतु चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय अण्डरटेकिंग(शपथ–पत्र) 50 रू. के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प में देना अनिवार्य होगा।
11. यदि चयनित अभ्यार्थियों का राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा छ.ग. राज्य अन्तर्गत मितानिन के रूप में 05 वर्ष अबाधित (निरन्तर) कार्य करने का सेवा अनुभव प्रमाण–पत्र झूठा या फर्जी पाया जाता है, या मितानिन के दायित्वों से पदच्यूत किया गया हो या मितानिन के रूप में कार्य के दौरान मितानिन के कर्तव्यों से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण लेखबद्ध/दर्ज पाया जाता है तो नियुक्ति स्वमेंव समाप्त मानी जावेगी।
12. आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उपस्थिति प्रतिवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

13. नव नियुक्ति शासकीय सेवक हेतु शासन आदेशानुसार नवीन पेंशन अंशदायी योजना लागू होगी।
14. उम्मीद्वार को नियुक्ति के तीन माह के अन्दर चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चरित्र सत्यापन में नियुक्ति के अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।
15. विज्ञापन में दिये गये नियम एवं शर्तें अनुसार उम्मीद्वार द्वारा गलत जानकारी देकर नियुक्ति प्राप्त किये, पाये जाने पर धोखाधड़ी का प्रकरण मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में चयनित उम्मीदवार द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. चयनित उम्मीदवार को तीन रूपए की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एकप्रति प्रस्तुत करना होगा।
17. अभ्यर्थी के विरूद्ध कदाचार, अनुशासनहीनता, कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की कार्यवाही की जावेगी।
18. अभ्यर्थी को निर्धारित मुख्यालय में रहकर सेवा देना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की उदासीनता बरती जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर, सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
19. उपरोक्तानुसार समस्त नियमों एवं समय–समय पर शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, तथा सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।
20. चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता अंतिम (फाईनल) चयन सूची के मेरिट अनुसार निर्धारित की गई है।
21. प्रतीक्षा सूची आदेश जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी।
22. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

<u>(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)</u>

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–कोण्डागांव (छ0ग0)

पृ.क्रः 1240-15/03/स्था.नर्सिंग/मु.चि.अ./2021 कोण्डागांव, दिनांक 04/08/2021

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला कोण्डागांव की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव की ओर सादर सूचनार्थ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ।
10. उप कोषालय अधिकारी केशकाल, जिला कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, कोण्डागांव/फरसगांव/माकड़ी/केशकाल/विश्रामपुरी को सूचनार्थ।
12. लेखा शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
13. संबंधित .... पिता/पति .... निवासी .... को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त नियुक्ति आदेश प्रति राज्य विभागीय व जिले के बेवसाईट से डाउनलोड कर अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में देवें।
14. आदेश पुस्तिका।
15. व्यक्तिगत नस्ती।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–कोण्डागांव (छ0ग0)